

राजस्व लोक अदालत अभियान
 भाव बाबत द्वार-2015, वनखण्ड अनियारा

प्राथमिक
 मूल वादे में डिक्री

प्रपत्र-5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनियारा जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कोसरियां

पीठासीन अधिकारी.....

उपखण्ड अधिकारी अनियारा

दावा बाबत मुकदमा नम्बर :-
 निर्णय दिनांक :-

जागीर केरवा अनवान (1) प्रकाश पुत्र धन्ना
 केरवा अनवान (2) रामदयाल पुत्र धन्ना
 केरवा अनवान (3) रामसुन्दर पुत्र धन्ना
 केरवा अनवान (4) तहसीलदार अनियारा
 केरवा अनवान (5) टोंक जिला सह-प्रति निर्यात बैंक अनियारा

वादी की ओर से राजू लाल की व प्रतिवादी की ओर से रामदयाल
 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19-5-2015 को राजस्व लोक अदालत
 (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश
 होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

नाथव तहसीलदार केवा को आदेशित किया जाता है कि वे
आराजी खण्ड 169, 170, 29, 29/629, 30 हेक्टर वाले
0-55 0-71, 0-81, 0-94, 1-94
 ग्राम केरवा परकार क्षेत्र कोसरियां तहसील अनियारा का वादीगण
 व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के तहत विभाजन हेतु गौरे पर रुज्जा खण्ड
 भुज्जार हुर्रजान कापम कर रिपोर्ट भिजवावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर
 दी गई।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की
4. _____ रुपये पर प्लीडर की फीस		तामील कमिश्नर की फीस
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील		
योग		योग

